SUMMARU TRIAL UNDER SECTION 263 THE CRIMINAL PROGEDURE CODE 1998 IN THE COURT OF A.K. Carpte, JMFC Gohad Dist Bhund (M.P.) Case No...... गोहर, जिला—मिण्ड (मं.भूग) plaint or report madeon ... Name and address of the Complainant..... Name, parentage, caste aud address of accused The offence, complainant of, and date of, its alleged commission के दिनांक हिन्दिन । आरोप विध अनुज़िप्त के अपन भारता राष्ट्र आधिपत्य में 25 लीटर/पाव/बोल शराब विकथ, परिवहन हेतु रखी। ऐसा करके आपने आबकारी अधि० 1915 की घारा 34-1 (क) के अधीन दण्डनीय अपराध कारित किया। क्या आपको उक्त अ राध स्वीकार है या प्रतिरक्षा चाहते हो। च्यायिक हस्ती होट प्रथम श्रेणी । The plea of the accised and his examination (if any) गोहद, जिला-मिण्ड (म.प्र.) अपराध स्वीकार है। यून दण्ड से दण्डित कर का निवदन है। गोहद, जिला-भिण्ड (म.प्र.

(आज दिनांक 🗬 🕏 र 🧻 को घोषित)

सिभयुक्त के विरूद्ध आबकारी अधि० 1915 की घारा 34-1 (क) के अधीन दण्डनीय अपराध का अभियोग है। संक्षिप्त विचारणीय हो। से समरी सीट पर अपराध विवरण पढ़कर सुनाये एवं समझाये जाने पर अभियुक्त ने स्वे धापूर्वक जुर्म/अपराध स्वीकार करना व्यक्त

संक्षिप्त विचारण किया गया। ३ । अभियुक्त की स्वेच्छापूर्वक स्वीकारोक्ति के आधार पर आबकारी अधि० 1915 की धारा 34 1 (b) के तहत आरोपी को दोषी ठहराया जाता है। उसकी पूर्व दोषसिद्धि के संबंध में अभिलेंस पर कोई तथ्य मौजूद नहीं हैं।

अभियुक्त को आबकारी अधि० 19 5 की धारा 34-1 (क) के तहत न्यायाल उठने ्राच्यों में इक्टिकाटकार की रुखये के 03 तक की अवधि तक की सजा एवं रूपये

अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। उन्यंदण्ड न पटाये जाने पर राष्ट्रक का साधारण

कारवांस की सजा मुगतायी जावे।

जप्तशुदा सम्पत्ति

अटर/पाव/बोर्ल 25

मूल्यहीन एवं मानव उपयोग हेतु हानि कारक वन के कारण अपील अवधि पश्चात् नियमानुसार ु में मान्ट अपील न्यायालय के आदेण की

चंकज शर्मा न्यायिक मिष्करहेट प्रधम श्रेणी

CX 04/08/17 च्यायिक मिलस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद, जिला-भिण्ड (म.प्र.)